बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या 5

पटना
दिनांक 19-1-2001

सेवा में,

मुख्य सचिव,
झारखंड प्रदेश, राँची ।

सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, राँची

विषय:- झारखंड राज्य में उप विकास आयुक्त के पद पर भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के प्रस्तावित पदस्थापन के विरुद्ध बिहार /झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ की आपत्ति ।

======0====

महाशय,

समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि झारखंड राज्य में उप विकास आयुक्त के पद पर भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन प्रस्तावित है । उप विकास आयुक्त का पद विकास कार्यों के लिए अति महत्वपूर्ण है और ऐसे पदों पर अनुभवी एवं योग्य पदाधिकारियों का पदस्थापन उचित एवं आवश्यक भी है पर सरकार को भलिभांति विचार कर निर्णय लेना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में अगर आवश्यक परिवर्त्तन करना है तो कौन सा सम्वर्ग उपयुक्त होगा । झारखंड एक नया राज्य है । पदाधिकारियों की कमी होना स्वभाविक है ऐसी स्थिति में किसी अन्य सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जिनका कि दूर-दूर तक वास्ता विकास कार्यों से नहीं रहा हो, एक अत्यन्त आत्मघाती कदम होगा । बिहार राज्य प्रशासन में नित्य नये-नये प्रयोग होते रहे और प्रशासन मजबूत होने की बजाय कमजोर होता गया, इसका अनुभव कल तक आपको हमसे ज्यादा था और आज भी है ।

उप विकास आयुक्त का पद भा०प्र०से० के पदाधिकारियों के सम्वर्गीय

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या.........................

पटना
दिनांक.........................

पद था पर कालान्तर में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के उचित तर्क एवं मजबूत दावेदारी को स्वीकार करने, भा0प्र0से0 के पदाधिकारियों की कमी होने, कई नये जिला के सृजित होने के कारण 41 पद बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए सम्वर्गीय पद घोषित किये गये। जहाँ एक ओर मेरे संघ का यह तर्क था और है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद से लेकर जिला के उच्चतम पदों तक हम पदस्थापित होते रहते हैं और सामान्य प्रशासन, विधि-व्यवस्था, राजस्व से लेकर विकास कार्यों का अनुभव प्राप्त करते हैं जिसके लिए प्रारम्भिक स्तर पर हमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है वहीं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी को मात्र वन सेवा के कार्यों, दायित्वों के निर्वहन का ही प्रशिक्षण प्राप्त है तथा उसी कार्य का अनुभव भी।

भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों की उप विकास आयुक्त के पद पर पदस्थापित करने के हमारे विरोध को अगर आप दर किनार कर दें तो भी झारखंड राज्य प्रशासन को यह विचार करना चाहिए कि क्या भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों को प्रशासनिक, राजस्व, विकास एवं विधि- व्यवस्था संधारण के प्रशिक्षण दिये जाते हैं। क्या प्रखंड स्तर से लेकर जिला में वन सेवा को छोड़कर किसी अन्य कार्यों का अनुभव है, क्या कभी विधि व्यवस्था का कार्य उन्होंने किया है। राजस्व प्रशासन एवं विकास कार्य तथा प्रशासन का कार्य उन्होंने कभी किया है। यदि नहीं, तो ऐसे में इनका पदस्थापन ऐसे उच्च पदों पर क्या सरकार के लिए लाभकारी होगा। इस पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए।

उप विकास आयुक्त के पद पद पदस्थापित होने के कारण बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी न केवल विकास कार्य करते हैं बल्कि सामान्य प्रशासन

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या.........................

पटना
दिनांक..............................

विधि व्यवस्था, राजस्व कार्य सहित विकास कार्य भी करते हैं । दिन रात उन्हें कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त है और हमारी सेवा की यही विशिष्टता है कि वे 24 घंटे कार्यरत रहते हैं । अकाल, आपातकालीन सेवा, दुर्घटना, सहायता कार्य, दंगा-फसाद, चुनाव, आगलगी से लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये गये समय-समय पर अनेकों कार्यक्रम, पल्स पोलियो, टीकाकरण, महामारी, जनगणना, पशु गणना के अलावे जिला पदाधिकारी की अनुपस्थिति में जिलाधिकारी का कार्य करते हैं और कई प्रकार के कोर्ट मामले के कार्य का निष्पादन भी करते हैं जिसका हमें अनुभव भी है और हम आदि भी हो गये हैं । ऐसी स्थिति में वन सेवा के पदाधिकारियों को उप विकास आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित किया जाना राज्य प्रशासन और सरकार के हित में नहीं होगा ।

अतः उल्लिखित स्थिति में संघ का सरकार से अनुरोध है कि अगर ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है तो उस पर गंभीरता से विचार करते हुए स्थगित किया जाय और ऐसे किसी आत्मघाती कदम को सरकार स्वीकृत नहीं करे ताकि किसी भी सुरत में प्रशासनिक क्षमता का ह्रास न हो और सम्वर्गीय द्वेष पैदा न हो सके ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
।जी0एल0 दास।
महासचिव ।

ह0/-
।डब्लू0एन0 सिंह।
अध्यक्ष ।

ज्ञापांक 5 /   पटना,   दिनांक 19-1-2001

प्रतिलिपि- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू॰ एन॰ सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी॰ एल॰ दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या.........................

पटना
दिनांक...............................

अनुरोध है कि संघ की इस भावना से मुख्य मंत्री को भी अवगत कराने की कृपा करें ।

2. श्री एम०पी० मिश्र, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वहां के पदाधिकारियों के साथ इस विषय सहित अनेक मामलों पर विचार विमर्श हेतु मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं कार्मिक सचिव से संघ के शिष्टमंडल को मिलने का समय प्राप्त करने की कृपा करें ।

॥डब्लू० एन० सिंह॥
अध्यक्ष ।
19/1/2001